

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:- 01.04.2026

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु आयोजित प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के Political Science विषय के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु दिनांक 23.09.2025 को जारी की गई विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया गया।

पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विज्ञापित पदों के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नम्बर के सम्मुख कोष्ठक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है-

रोल नम्बर (मेरिट क्रमांक)

1602069 (M-4) 1612914 (M-3) 1617540 (M-1) 1623025 (M-5)
1624672 (M-6) 1655944 (M-2)

TOTAL CANDIDATES:- 06

CUT OFF MARKS

MAIN LIST

| CATEGORY | CUT OFF MARKS | DATE OF BIRTH | REMARKS | |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| Gen. (UR) | GEN. | 185.33 | 08-12-1997 | - |
| | GEN. WE | | | |
| | WD | N.A. | - | - |
| | DV | N.A. | - | - |
| S.C. | GEN. | N.A. | - | - |
| | GEN. WE | N.A. | - | - |
| | WD | N.A. | - | - |
| | DV | N.A. | - | - |
| S.T. | GEN. | 185.34 | 03-08-1998 | नोट बिन्दु संख्या 2 |
| | GEN. WE | N.A. | - | - |
| | WD | N.A. | - | - |
| | DV | N.A. | - | - |
| O.B.C. | GEN. | N.A. | - | - |
| | GEN. WE | N.A. | - | - |
| | WD | N.A. | - | - |
| M.B.C. | GEN. | N.A. | - | - |
| | GEN. WE | N.A. | - | - |
| E.W.S. | GEN. | N.A. | - | - |
| | GEN. WE | N.A. | - | - |
| | WD | N.A. | - | - |

HORIZONTAL RESERVATION

| CATEGORY | CUT OFF MARKS | DATE OF BIRTH | |
|----------------|--|---------------|------------|
| Ex-service man | Gen. (UR) | 158.00 | 09-01-1987 |
| | S.C. | N.A. | - |
| | S.T. | N.A. | - |
| | O.B.C. | N.A. | - |
| | E.W.S. | N.A. | - |
| PH | B/LV | N.A. | - |
| | H.I. | N.A. | - |
| | OA/BA/OL/BL/OAL/CP/LC/DW/AAV | N.A. | - |
| | (a) A.S.D.,M.I., S.L.D., & (b) Mul. Dis. | N.A. | - |

नोट:—

1. 'N.A.' से तात्पर्य 'Candidates Not Available Due to Minimum Qualifying Marks As Per Service Rules' से है।
2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुरूप जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयु एवं अन्य किसी तरह (फीस को छोड़कर) की छूट प्राप्त की है, उन अभ्यर्थियों को परिणाम तैयार करते समय उनके स्वयं के वर्ग में विचारित किया गया है।
3. सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत विज्ञापित वर्गवार पदों के 50 प्रतिशत पदों हेतु आरक्षित सूची तैयार किये जाने का प्रावधान है, किन्तु उपरोक्तानुसार मुख्य सूची तैयार किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण आरक्षित सूची तैयार नहीं की गई है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव